



2026:AHC:124401

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या

- 5421 वर्ष 2026

राहुल राठी

....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिपक्षी (गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : आदित्य यादव, शिवम यादव, श्याम कुमार यादव

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति जीतेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक की ओर से दायर पूरक हलफनामा और संशोधन आवेदन दोनों को अभिलेख में ले लिया गया है।
2. प्रारंभ में ही, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदन ज्ञापन में आवश्यक सुधार करने की अनुमति मांगी और उन्हें दिन के दौरान ऐसा करने की अनुमति दी गई।
3. हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री शिवम यादव और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री ओ.पी. सिंह की बात सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया।
4. वर्तमान आवेदन प्रकरण अपराध संख्या 71 वर्ष 2026 में अग्रिम जमानत के लिए दायर किया गया है, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 115(2), 109(1), 351(2) और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत है, थाना भवन बहादुर नगर, जिला बुलंदशहर में, इस प्रार्थना के साथ कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक शासकीय अधिवक्ता कर्मचारी है और वर्तमान विवाद वैवाहिक अपराध से संबंधित है, जिसे आपराधिक रंग दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि घायलों की कोई भी चोट गंभीर या जानलेवा नहीं पाई गई है। उन्होंने यह भी बताया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 2 अप्रैल 2026 से जेल में बंद है। उन्होंने यह भी कहा कि आवेदक मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और विवेचना एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होगा। उन्होंने कहा कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विवेचना में सहयोग करेगा तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।

6. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया है और उन्होंने यह प्रस्तुत किया है कि घायल महिला को शरीर पर 15 चोटें आई हैं और उसे एक्स-रे कराने की सलाह दी गई है, हालांकि, पूरक एक्स-रे सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

7. प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के अनुसार, वर्तमान विवाद वैवाहिक अपराध से संबंधित है, जिसे आपराधिक रूप दिया गया है। घायलों की कोई भी चोट गंभीर या जानलेवा नहीं पाई गई है। यह भी निवेदन किया जाता है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 2 अप्रैल 2026 से जेल में बंद है।

8. यह उल्लेख किया जा सकता है कि **सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011)**

1 एससीसी 694, के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि अग्रिम जमानत का निर्णय करते समय न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी का पूर्ववृत्त, आरोपी के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और न्यायालय को आरोपी के विरुद्ध उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा आरोपी की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

9. इस प्रकरण में, अग्रिम जमानत के संबंध में कानून के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता की दलीलें, आवेदक की भूमिका और प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का प्रकरण बनता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

11. उपर्युक्त प्रकरण में अपराध के लिए अभियोक्ता **राहुल राठी** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000/- रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

- (i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और वह निर्धारित तिथि पर अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसे छूट न दी जाए;
- (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;
- (iii) आवेदक मुकदमे के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
- (iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

12. किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए उचित आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

1 जून, 2026

आरकेएम